391

संख्या 20 /XIX-1/16–87/2007

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग–1 दिनांकः देहरादून 19 फरवरी 2016

विषय :– लोहियापुरम, त्यागी रोड, जिला देहरादून में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड के स्वामित्व के राजकीय आवासीय भवनों की मरम्मत के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र संख्या–3292/आ0वि0शा0–690/2015–16, दिनांक–01.01.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोहियापुरम, त्यागी रोड, जिला देहरादून में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड के स्वामित्व के राजकीय आवासीय भवनों की मरम्मत हेतु सहायक अभियन्ता, सुरंग एवं विद्युत गृह खण्ड–02, जिला देहरादून द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणनों के सापेक्ष रू0–5.00 लाख (रू0–पांच लाख मात्र) की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 के अनुदान सं0–25 के लेखाशीर्षक–4408–खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण पर पूंजीगत परिव्यय, 01–खाद्य–आयोजनागत–800 अन्य व्यय–06 खाद्य गोदामों/भवनों की मरम्मत एवं रख–रखाव–29–अनुरक्षण से आहरित करते हुये उक्त भवनों की मरम्मत हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1–कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

2–कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

3–कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

4–निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया

–02–

जाय तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

5–विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

6–स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त करन ली जाय।

7– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शाासन के शासनादेश सं0–2047/XIV-219(2006) दिनांक–30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

8–आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व uttarakhand procurement rules, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9– उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार भी नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

10– उक्त भवनों के अनुरक्षण कार्यो से सम्बन्धित आगणनों की टी0ए0सी0 कराने के पश्चात् औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि नियमानुसार व्यय की जायेगी।

2– यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 सं0–138–पी0/XXVII(5)/2015-16 दिनांक–17.02.2016 में प्राप्त उनके सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

संख्या 2001 /XIX-1/16–87/2007 तददिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
3– सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक, गढ़वाल सम्भाग, देहरादून।
3– अधिशासी अभियन्ता, सुरंग एवं विद्युत गृह, खण्ड–02, देहरादून।
4– वित्त अनुभाग–05/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5– समन्वयक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0 तोमर)
संयुक्त सचिव